

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रार्थना पत्र रिव्यू/97/2018

महेन्द्र प्रताप शर्मा पुत्र श्री हरिशर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बार्ड न.5 बीच का पाडा नदबई  
तहसील नदबई जिला भरतपुर .....प्रार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी नदबई

..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिव्यू

निर्णय

दिनांक 13.03.2019

यह प्रार्थना पत्र रिव्यू पेश किया है कि उनबानी अपील श्रीमानजी के न्यायालय में विचारधीन थी जिसमें श्रीमानजी ने दिनांक 18.07.2018 को आदेश पारित कर अपील को खारिज कर दिया है। प्रार्थना पत्र रिव्यू प्रार्थी अभिभाषक बहस में प्रार्थी को ज्यादा बीमार रहने एवं खाद्य सुरक्षा का लाभ देने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की अपील की है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल निर्णय दिनांक 18.07.2018 गुणा वगुण के आधार पर बाद परीक्षण पारित किया गया है। प्रथम दृष्टया निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। प्रथम दृष्टया मूल आदेश में कोई अनियमितता पाई नहीं गई है। अपीलांत की ओर से कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है। निर्णय दिनांक 18.07.2018 का रिव्यू करना उचित नहीं पाते है। लिहाजा प्रार्थना पत्र रिव्यू खारिज योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र रिव्यू खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(~~डॉ. आरूषि मलिक~~)

जिला कलक्टर,  
भरतपुर

